




परिपत्र (Circular)

छात्र-छात्राओं/आगन्तुकों एवं स्थानीय सामाजिक संगठनों द्वारा उच्चाधिकारियों को प्रायः इस आशय की शिकायतें प्रेषित की जाती रही हैं कि कतिपय अनुभागों/पटलों में सम्बन्धित कर्मचारी कार्यालय समय में उपस्थित होने के बजाय अन्यत्र अनुभागों अथवा यत्र-तत्र घूमते पाये जाते हैं तथा यथा समय कार्यालयीय कार्यों का सम्पादन नहीं कर रहे हैं। यह भी संज्ञान में लाया गया है कि विश्वविद्यालय में कार्यरत कतिपय कर्मचारियों द्वारा WhatsApp सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कुछ ग्रुप संचालित हैं, जिसमें विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, अधिकारियों एवं शिक्षकों के साथ-साथ अन्य नागरिकों, छात्र नेताओं एवं स्थानीय पत्रकारों को जोड़ा गया है। इन ग्रुपों में विश्वविद्यालय से सम्बन्धित भ्रामक एवं भड़काऊ पोस्ट कर विश्वविद्यालय एवं अन्य सम्बन्धितों की छवि धूमिल की जा रही है।

अतः उक्त के आलोक में समस्त कार्यालय प्रभारियों/अनुभाग अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने नियंत्रणाधीन कार्मिकों की कार्यालय समय में सम्बन्धित पटलों पर उपस्थिति सुनिश्चित करें। यदि कोई कार्मिक बगैर सूचना/अवकाश पत्र के अपने पटल से अनुपस्थित रहता है तो उपस्थिति पंजिका में अनुपस्थिति दर्ज करते हुये इसकी सूचना अविलम्ब अपने उच्चाधिकारी के माध्यम से कुलसचिव कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। यदि भविष्य में कोई कार्मिक कार्यालय समय में बगैर सूचना/अवकाश पत्र के अपने पटल से अनुपस्थित पाया जाता है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यालय प्रभारी/अनुभाग अधिकारी का होगा एवं इस हेतु नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही व्यवहृत की जायेगी।

यह भी अवगत कराया जाता है कि विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त कर्मचारियों द्वारा सार्वजनिक मंचों अथवा किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित भ्रामक सूचनाओं का प्रसारण अथवा संस्थान की छवि को धूमिल किये जाने सम्बन्धित कोई भी पोस्ट प्रदर्शित किया जाना केन्द्रीय कर्मचारी सेवा नियमावली एवं सुसंगत आई.टी. नियमों के अन्तर्गत आवश्यक अनुशासनात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही को आमंत्रित करता है। अतः तदनुसार समस्त सम्बन्धित को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह विश्वविद्यालय से सम्बन्धित ऐसे किसी भी WhatsApp सोशल मीडिया ग्रुप का निर्माण न करें और न ही किसी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित भ्रामक सूचनाओं का प्रसारण अथवा संस्थान की छवि को धूमिल किये जाने सम्बन्धित कोई भी पोस्ट प्रदर्शित करें। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित WhatsApp Group Creator/Administrator तथा सम्बन्धित ग्रुप मेम्बर के विरुद्ध सुसंगत नियमों के अन्तर्गत आवश्यक अनुशासनात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।


कुलसचिव 01/09/22

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त परिसर निदेशक/संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
2. अधिष्ठाता छात्र कल्याण/नियंता/मुख्य छात्रावास अधीक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष।
3. वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक/निदेशक आई.क्यू.ए.सी./एफ.डी.सी.।
4. संयुक्त कुलसचिव/समस्त उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव/सुरक्षा अधिकारी।
5. अधिशासी अभियन्ता/कोर्डिनेटर, डाटा प्रोसेसिंग केन्द्र/ई-गवर्नेंस सेल/जनसम्पर्क अधिकारी।
6. प्रभारी सिस्टम मैनेजर को उक्तानुसार विश्वविद्यालय की वैब साईट पर अपलोड करने हेतु।
7. समस्त अनुभाग अधिकारियों/प्रभारियों को इस आशय से प्रेषित कि अपने अधीनस्थ समस्त शिक्षणेत्र कर्मचारियों को उक्तानुसार अवगत कराना सुनिश्चित करें।
8. प्रति कुलपति महोदय के सादर सूचार्थ प्रेषित।
9. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
10. गार्ड फाइल।


कुलसचिव 01/09/22